

**सुरक्षा गार्ड हेतु**  
**—: टेण्डर/प्रस्ताव आमत्रंण सूचना :—**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम झांसी क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों/इकाईयों में निगम की सम्पत्ति एवं कैश सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता हेतु टेण्डर/प्रस्ताव दिनांक 08.05.2018 को 12.00 बजे से 15.00 बजे के मध्य डाले जायेंगे। लिफाफे पर एजेन्सी का स्पष्ट नाम व पता लिखा होना आवश्यक है। यह प्रस्ताव प्रस्तावकों के समक्ष 16.00 क्षेत्रीय समिति के द्वारा 08.05.2018 को खोले जायेंगे। क्षेत्रीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

**—: निर्धारित मानक :—**

- 1— बिडर को भारत सरकार के वित मंत्रालय से फाइनेन्स एक्ट 1942 (32 आफ 1994) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2— बिडर को (अ) फर्म निबन्धक (ब) श्रम विभाग (स) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (द) माल एवं सेवाकर (ध) आयकर विभाग से पंजीयन प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3— बिडर को वित्तीय क्षमता का प्रमाण पत्र देना होगा कि तथा ₹0 100000.00(रु0एक लाख )की बैंक गारन्टी अथवा एफ0डी0 प्रस्ताव/आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी।
- 4— बिडर को आयकर, सेवाकर, भरविष्य निधि आदि जमा करने का प्रमाण पत्र देना होगा।
- 5— बिडर को किसी प्रतिष्ठित संस्था में फैसिलिटी मैनेजमेन्ट /मेनपावर सप्लाई का न्यूनतम 05 वर्ष का अथवा में परिवहन निगम में 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
- 6— बिडर को भारतीय नागरिक एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होना आवश्यक है।
- 7— बिडर को इस बात का शपथ—पत्र देना होगा कि वह भारत वर्ष में किसी भी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं है।
- 8— विभाग का मासिक कार्य लगभग 200000.00( रु0दो लाख) का होगा तथा फर्म का टर्न ओवर इस धनराशि के समान होना अनिवार्य है।
- 9— बिडर को उपरोक्त मानकों के समर्थन में अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां लिफाफे में रखनी होगी और मूल प्रति टेण्डर खुलने पर प्रस्तुत करनी होगी।
- 10— एजेन्सी पुलिस विभाग में पंजीकृत हो।

**—: अन्य शर्तें :—**

- 1— एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा गार्ड कम से कम हाई स्कूल पास व स्वरथ होना आवश्यक है।
- 2— सुरक्षा गार्डों को यूनिफार्म में होने के साथ—साथ उनके पास डंडा व तीन सेल की टार्च होनी अनिवार्य है।
- 3— बन्दूक धारी सुरक्षा गार्डों के पास लाइसेन्सी बन्दूक होनी चाहिये और वह इस योग्य हो कि विपरीत परिस्थितियों में बन्दूक सफलता पूर्वक चला सके।
- 4— निगम परिसर से किसी प्रकार की चोरी /सामानों का दुरुपयोग आदि मामलों में एजेन्सी को उत्तरदायी मानते हुये कटौती आदि की कार्यवाही की जायेगी।
- 5— सुरक्षा गार्डों को देय वेतन व अन्य सुविधा यथा पी0एफ0/ई0एस0आई0/ग्रुप इश्योरेन्स आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व एजेन्सी का होगा।
- 6— बिडर को अनुबन्ध से पूर्व लगाये जाने वाले सुरक्षा गार्डों के नाम व पते पुलिस से सत्यापित कराने के उपरान्त कार्यालय में जमा करने होंगे।
- 7— एजेन्सी के सुरक्षा गार्डों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरें जो समय—समय पर निगम मुख्यालय से जारी की गयी है के आधार पर भुगतान किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी मद का भुगतान निगम द्वारा नहीं किया जायेगा। यह भुगतान माह के प्रत्येक दिन डियूटियों पर देय होगा।

कमश: दो पर/-

(02)

- 8— उपलब्ध कराये गये सुरक्षा गार्ड एजेन्सी के नियोजन में माने जायेंगे । परिवहन निगम उनके भुगतान / कानूनी देयकों अथवा नियोजन के लिये उत्तरदायी नहीं होगा ।
- 9— एजेन्सी द्वारा सुरक्षा कर्मियों को अनिवार्य रूप से परिचय पत्र जारी किया जायेगा एवं एजेन्सी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र सुरक्षा कर्मी की तैनाती से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा कि इन सुरक्षा कर्मियों का पुलिस सत्यापन करा लिया गया है । किसी भी सुरक्षा कर्मी को बिना पुलिस सत्यापन कराये निगम में डियुटी पर नहीं लिया जायेगा । तथा परिचय पत्र की प्रति विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
- 10— प्रत्येक माह प्रत्येक यूनिट में सुरक्षा में लगे सुरक्षा कार्मिकों की उपस्थिति व बिल सम्बन्धित इकाई के अधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रमाणित कराते हुये प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय को प्राप्त कराने होंगे । जिसका भुगतान इस स्तर से किया जायेगा ।
- 11— एजेन्सी द्वारा निर्धारित नियमानुसार आयकर, माल एवं सेवाकर, कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि का चालान की फोटो प्रति उपलब्ध करानी होगीतथा कर्मचारी भविष्य निधि में जमा धनराशि का 3A] 6A , भी नियमानुसार भविष्य निधि कार्यालय से सत्यापित कराकर कार्यालय में जमा कराना होगा ।
- 12— किसी प्रकार का विवाद आपसी समझौते से सुलझाया जायेगा अन्यथा की स्थिति में आर्बिट्रेशन का अधिकार प्रबन्ध निदेशक महोदय परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ में निहित होगा इस हेतु वे स्वयं अथवा अन्य को आर्बिट्रेटर नियुक्त कर सकते हैं तथा उनका निर्णय सर्वमान्य होगा । योग्य बिडर न पाये जाने की दशा में समिति समस्त प्रस्तावों को अस्वीकार कर पुनः टेंडर करा सकती है यह अधिकार समिति में निहित होगा ।

(एस0के0राय)  
क्षेत्रीय प्रबन्धक

### कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम झांसी

- पत्रांक जेआर/स्था0/सुरक्षा गार्ड /निविदा /2018— 15-43 दिनांक 01/05/2018
- प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 1— मुख्य प्रधान प्रबन्धक ( प्रशासन) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ ।
- 2— नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी ।
- 3— सहायक प्रबन्धक (एम0आई0एस0) परिवहन निगम को विज्ञप्ति बेवसाइट पर प्रकाशन करने हेतु
- 4— समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम -----
- 5— सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त) उत्तर प्रदेश परिवहन निगम झांसी ।
- 6— सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम झांसी/उरई ।
- 7— नोटिस बोर्ड चर्चा हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक /डिपो कार्यालय झांसी क्षेत्र ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक  
झांसी